

प्रेषक,

श्री रघुभूषन-तर अग्निहोत्री,
स्वेच्छा संघिव
उत्तर प्रदेश ग्रामन।

तेवा में,

संघिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
पुस्ति विहार, नई दिल्ली।

विषय । 7। अनुमाग

लेखन: दिनांक: 03 नवम्बर, 2000

विषय- डॉन बास्को पब्लिक स्कूल दो गाँधी, नैनीताल को सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली से
अनापर्वति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉन बास्को पब्लिक
स्कूल दो गाँधी, नैनीताल को सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापर्वति प्रमाण
पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपर्वति नहीं हैः-

- 1। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2। विद्यालय की प्रबंध समिति में प्रश्नशक्ति शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3। विद्यालय में कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4। तीन्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगा और परिषद् शूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा। संस्था शैक्षिक स्वं शिक्षणतर कर्म्यारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्म्यारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे।
- 5। कर्म्यारियों की सेवा शर्त ब नाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय 30प्र० विद्यालयों के कर्म्यारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

- 17। राज्य सरकार द्वारा सम्बन्ध-सम्बन्ध पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 18। विद्यालय का रिकाई नियांरित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/तस्वीधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
20. उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पापा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथा पालन करने में किसी भी प्रकार की घूर या शिथित हो बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

S. N. M.

। श्याम सन्दर अग्निहोत्री ।
तपुर्वक्त सचिव।

पृष्ठ०- 111/15-7-2000, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. एडलीय तंयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायू मंडल, नैनीताल।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प०, लखनऊ।
5. प्रबंधक, डॉन बास्को प्रबंधक स्कूल, दो गाँव, नैनीताल।

आग्ना से,

**

। श्याम सन्दर अग्निहोत्री ।
तपुर्वक्त सचिव।